T.D.R वर के मौका रिपोर्ट
हेतु लिखा गया है। ~~[illegible]~~

ग्राम पन्नानपुरा

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/407

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	ता~~रीख फैसला~~ 4	पेशी दिनांक 5
251(क)(1) RTA प्रार्थना पत्र	254/2024	05/08/24 निर्णीत 16/4/25	3/4/25 मौका रिपोर्ट ~~अप्राप्त~~ प्राप्त	~~28/8/24~~ 08/8/24 04/9/24 23/9/24 01/10/24 22/10/24 6/11/24 19/11/24 10/12/24 9/1/25 6/2/25 13/2/25 24/2/25 1/3/25 ~~[illegible]~~ पत्र

अनवान

PD प्राप्त

20/3/25
16/4/25

श्री देवालाल S/O उंकार धाकड़ .... श्री तहसीलदार सा. बिजौलियां ....

निवासी चाँदजी कि खेड़ी, बिजौलिया .... निवासी बिजौलियां ....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री ओम प्रकाश शर्मा (Adv.) ....

श्री .... TDR (Onl

FORM NO. III
फर्द अहकम
नियम 26

अज न्यायालय **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बिजौलिया जिला भीलवाड़ा**

देवालाल बनाम तहसीलदार सा. बिजोलियां

किस्म मुकदमा धारा 251(क)(1) नम्बर 254 सन **2024**

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
/08/2024	प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जाँच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22/08/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 4/9/24 को पेश हो	
9/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 23/9/24 को पेश हो	
-9.24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 1/10/24 को वास्ते तलबी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 22/10/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
/10/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 6/11/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

1?/12/24 पत्रावली [illegible]
उपस्थित [illegible]
दिनांक 9/1/25 3-31 [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

9/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। पत्रावली
दिनांक 6/2/25 को वास्ते 5-31 पेश हो।

तहसीलदार बिजौलिया को तहरीर जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी

6/2/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी
उपस्थित श्रीमान दौरे पर है। पत्रावली
दिनांक 21/2/25 को वास्ते 5-31 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी

21-2-25 पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलियां से मौका रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट आगामी दिनांक 11-3-25 को पेश हो।

[illegible]
11-3-25 [illegible]
उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते 5. रिपोर्ट [illegible] आगामी दिनांक 03/4/25 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई तहसीलदार बिजौलिया से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट को प्रार्थी अधिवक्ता ने स्वीकार किया। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु आगामी दिनांक 16/4/25 को पेश हो

पत्रावली पेश हुई पत्रावली में निर्णय [illegible] में सुनाए गए। जिनका निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली [illegible] अनुसार [illegible], [illegible] हेतु दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

राजस्थान सरकार

यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS)

संख्या :– **254 / 2024**

दायर तारीख 05 / 08 / 2024

अनवान

1. देवालाल पिता ऊंकार जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी चांदजी की खेड़ी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

............प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

.... विपक्षी

उपस्थित :1. श्री ओमप्रकाश शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा ....अधिवक्ता प्रार्थी।
2. पैरोकार सरकार ....अधिवक्ता विपक्षी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–16 / 04 / 2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विपक्षीगण पेश कर निवेदन किया / अनुतोष चाहा की प्राथी के स्वामित्व की खातेदारी ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी भू.अभि.निरिक्षक सलावटिया तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 68 में अंकित खसरा नम्बर 772 / 656 क्षेत्रफल 0.4452 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने के लिए 12 फीट चौड़ा रास्ता जो कि उसी ग्राम की आराजी संख्या 267 किस्म गे मु. मगरी से होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 772 / 656 में जा रहा है, प्रार्थी कई वर्षो से निरन्तर इसी रास्ते को उपयोग उपभोग कर प्रार्थी द्वारा अपनी आराजीयात पर काश्त की जा रही है। मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी को अपनी आराजियात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजियात पर काश्त करने के लिए आने–जाने हेतु ट्रेक्टर, बैलगाड़ी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, प्रार्थी को उक्त रास्ते के आने–जाने हेतु कभी भी अवरूद्ध किया जा सकता है। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यह कि प्रार्थी को विपक्षी की उक्त आराजियात पर स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते को रिकॉर्ड में लेने के बदले में तय किये जाने वाला सरकारी मूल्य के आधार पर मुआवजा को तैयार हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ते को नियमानुसार कायम करवा कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख कराया जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबन्दी आधार संवत् 2076–2079 ग्राम पचानपुरा खाता संख्या 68 खसरा 772 / 656 की एवं नक्शा ट्रैस उक्त आराजीयात का पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

प्रार्थनापत्र दिनांक 05.08.2024 को दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण तलबी जरिये नोटिश मय नकल प्रार्थनापत्र भेज करवाई गई । विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण की और से अधिवक्ता पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार बिजौलियां को निरिक्षण / मौका रिपोट / तथ्यात्मक रिपोर्ट के लिए तहरीर दिनांक 08.11.2024 को जारी की गई। जिसके जवाब में तहसीलदार बिजौलियां से स्थल रिपोर्ट क्रमांक / राजस्व / 2025 / 485 दिनांक 24.03.2025 को प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बिजौलियां ने अपनी स्थल निरिक्षण रिपोर्ट में अंकित किया कि:–

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भील

ि. सलावटिया एवं पटवारी हल्का चांदजी की खेड़ी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम पचानपुरा की आराजी 772/656 रकबा 0.4452 हैक्टैयर भूमि में पहुंचने के लिए कोई मार्ग/वैकल्पिक मार्ग नहीं होने से चानपुरा की बिलानाम आराजी संख्या 267 किस्म गे.मु मगरी में रास्ता चाहता है। रास्ते की चौडाई टर एवं लम्बाई 260 मीटर यानि 1040 वर्ग मीटर यानि 0.1040 हैक्टेयर भूमि उक्त प्रस्तावित रास्ते योग में आयेगी। रास्ता बिलानाम आराजी संख्या 267 के पश्चिमी दिशा में नाला आराजी संख्या 3 के सहारे होकर वादी की आराजी में पहुंचगा जिसे नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया क्त प्रस्तावित रास्ता सबसे निकटतम दूरी का है इस प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नहीं है। प्रार्थी आराजी नम्बर 267 में प्रस्तावित रास्ते में 1040 मीटर भूमि का उपयोग करेगा। उक्त ी नम्बर 267 असिंचित होकर आबादी से 500 मीटर की दूरी पर है। आराजी नम्बर 267 स्वीकृत व त खनन क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

ग्राम पचानपुरा की रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि आराजी संख्या 267 रकबा 3. हैक्टेयर में से रकबा 0.1040 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रूपये प्रति हैक्टेयर में मे की मालियत 239346/– रूपये का दुगुना से 478692/– रूपये की राशि बनती है। तहसीलदार लियां से स्थल निरिक्षण रिपोर्ट के साथ मौका पर्चा , नकल जमाबन्दी मय नक्शा ट्रैस, नजरी नक्शा, किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त स्थल निरिक्षण रिपोर्ट को स्वीकार एवं पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। पैरोकार सरकार ने किसी प्रकार का ऐतराज जांच रिपोर्ट पर नहीं ा। पत्रावली को बहस के स्तर पर रखा गया।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत साक्ष्य एवं उभयपक्ष की बहस सुनने एवं सीलदार बिजौलियां से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात् आदेश पारित किए जाते हैं –

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए(1) राजस्थान काश्तकारी यम 1955 प्रार्थी के पक्ष में स्वीकार किया जात है कि प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी ग्राम पचानपुरा पटवार चांदजी की खेड़ी भू.अभि.निरिक्षक सलावटिया तहसील बिजौलियां में स्थित खाता संख्या 68 में अंकित नम्बर 772/656 क्षेत्रफल 0.4452 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि में स्वयं के पैदल , मोटर साईकल, बैलगाड़ी से आने जाने के लिए रास्ते हेतु विपक्षी की ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चांदजी की खेड़ी .क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियां की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 267 किस्म गे मु.मगरी रकबा 3. हैक्टेयर में से 0.1040 हैक्टेयर भूमि (04 मीटर चौड़ाई एवं 260 मीटर लम्बाई यानि 1040 वर्ग मीटर) जस्व रिकॉर्ड में गैर मुनकीन रास्ता (रास्ता पगडंडिया) अभिलिखित/दर्ज करने के आदेश दिये जाते

प्रस्तावित रास्ते की भूमि आराजी संख्या 267 रकबा 3.1646 हैक्टेयर में से रकबा 0 हैक्टेयर भूमि की डी.एल.सी. दर 2301400/– रूपये प्रति हैक्टेयर में से भूमि की मालियत 239346/– का दुगुना से 478692/– रूपये की राशि बनती है। जो कि बतौर मुआवजा भुगतान योग्य हैं। प्रार्थी उक्त राशि जमा कराने पर नियमानुसार रास्ता राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें। ार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 16/04/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां